रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226771
**CG-DL-E-27042021-226771**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 186] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943**
**No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943**

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021**

**आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.074.**—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकारशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) की अनुसूची के खंड 12क में,-

(i) उपखंड (5) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 अक्तूबर, 2021 को समाप्ति अवधि तक प्राप्त होने वाले किसी आवेदन के लिए, यदि एजेंसी द्वारा नियतकार्य(असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार-पत्र, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर जारी, नवीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्राधिकार-पत्र एजेंसी द्वारा यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा ।"

(ii) उपखंड (7) में,-

(क) "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहां नियतकार्य(असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए कोई आवेदन, किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से 31 अक्तूबर, 2021 को समाप्त अवधि तक अस्वीकार कर दिया गया है वहां अस्वीकार किए जाने वाले आदेश से व्यथित आवेदक, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा ।"

सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/असा./50/2021-22]

**टिप्पण**: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें -

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 383, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.35, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018;

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 261, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.043, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2019;

(3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 155, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.058, तारीख 20 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020; और

(4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 23, तारीख 14 जनवरी, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.068, तारीख 14 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा उनमें संशोधन किए गए ।

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, 27th April, 2021

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2021**

**No. IBBI/2021-22/GN/REG074.**—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in the Schedule, in clause 12A,

(i) in sub-clause (5), after the proviso, the following proviso shall be inserted , namely: -

"Provided further that, for an application received on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2021 and ending on the 31st October 2021, if the authorisation for assignment is not issued, renewed or rejected by the Agency within thirty days of the date of receipt of application, the authorisation shall be deemed to have been issued or renewed, as the case may be, by the Agency."

(ii) in sub-clause (7),

(a) the words "seven days" shall be substituted with the words "fifteen days".

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that, where an application for issue of authorisation for assignment has been rejected by an insolvency professional agency, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2021 and ending on the 31st October, 2021, the applicant aggrieved of an order of rejection may appeal to the Membership Committee within thirty days from the date of receipt of order."

SUDHAKER SHUKLA, Whole-time Member

[ADVT. III/4/Exty./50/2021-22]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye–Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were subsequently amended by-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG35 dated 11th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 383 on 11th October, 2018;

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG043 dated 23rd July 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.261 on 23rd July 2019;

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020 published vide notification No. IBBI/2020-21/GN/REG058 dated 20th April, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.155 on 24th April, 2020; and

(4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 published vide notification No. IBBI/2020-21/GN/REG068 dated 14th January, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 23 on 14th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA